320 25 सीपीएसई कर्मचारियों/संविदा कामगारों आदि का आधार समर्थ प्रणाली का नामांकन

संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों सहित केंद्र सरकार के कार्यालयों में आधार बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली शुरू की गई है। इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21 नवम्बर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन की प्रति संलग्न है।

सीपीएसई से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे विभिन्न प्रयोजनों, जैसे उपस्थिति, मजदूरी का भुगतान, पीएफ, ईएसआई आदि, के लिए सीपीएसई कर्मचारियों और संविदा/दिहाड़ी कामगारों के नामांकन हेतु अपने प्रशासनिक क्षेत्राधिकार सीपीएसई को आधार कार्ड अपनाने की सलाह दें।

विषयः आधार समर्थ बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली शुरू करना

भारत में संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों सहित केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में आधार समर्थ बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली/नई दिल्ली स्थित कार्यालयों में 31 दिसम्बर, 2014 तक यह प्रणाली लगाई जाएगी। अन्य स्थानों पर यह प्रणाली 26 जनवरी, 2015 तक संस्थापित की जाएगी।

2. इक्विपमेंट प्राधिकृत विक्रेताओं से डीजीएसएण्डडी संविदा दर पर डीईआईटीवाई की विनिर्दिष्टियों के अनुसार मंत्रालयों/विभागों द्वारा खरीदे जाएंगे। इस पर होने वाला व्यय संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा ओ.ई. के तहत पूरा किया जाएगा। उपस्थिति की मैनुअल प्रणाली तदनुसार समाप्त की जाएगी।

3. इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रोद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) प्रणाली लगाने के लिए तकनीकी दिशा–निर्देश प्रदान करेगा। डीईआईटीवाई द्वारा पहले ही खरीदे गए इक्विपमेंट की तीन वर्षों की इन–बिल्ट एएमसी है। मंत्रालय/विभाग यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा खरीदे जा रहे इक्विपमेंट में उसी प्रकार के प्रावधान हैं।

4. बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली केवल समर्थकारी प्लेटफार्म है। कार्यालय के समय, विलम्ब से उपस्थिति आदि से संबंधित अनुदेशों में कोई परिवर्तन नहीं है, ये लागू रहेंगे। मौजूदा अनुदेशों (दिनांक 04 जुलाई, 1975 के का.ज्ञा.सं. 28034/8/75–स्था.–ए; दिनांक 27 अगस्त, 1975 के का.ज्ञा.सं. 28034/10/75–स्था.–ए और दिनांक 05 मार्च, 1982 के का.ज्ञा.सं. 28034/3/82–स्था.–ए) के अनुसार विलम्ब से उपस्थिति के प्रत्येक दिन के लिए आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी काटी जाएगी परंतु एक घंटे तक विलम्ब से उपस्थिति के लिए और एक माह में दो बार से अधिक नहीं और औचित्यपूर्ण कारणों के लिए इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा माफ किया जा सकता है। आकस्मिक छुट्टी (अथवा आकस्मिक छुट्टी उपलब्ध नहीं होने पर अर्जित छुट्टी) काटने के अतिरिक्त उन सरकारी कर्मचारियों, जो आदतन देर से आते हैं, के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाए (दिनांक 21 नवम्बर, 2014 के का.ज्ञा.सं. 11013/9/2014–स्था.(ए–प्प))। कार्यालय से पहले जाने को भी देर से आने की तरह माना जाए।

5. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हैं।

6. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इसे सभी संबंधितों के ध्यान में ला दिया जाए।

[डीपीई का.ज्ञा.सं.डीपीई–जीएम/0209/2014–जीएम/एफटीएस–3113, दिनांक 27 जनवरी, 2015]

*****